

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-

(पत्रांक-107/2024 दिनांक 16.04.2024)

दिनांक-16.04.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

थाना कसया पुलिस द्वारा गौ-तस्करी करने वाले गैंग के 03 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट में की गयी कार्यवाही-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.04.2024 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बिहार व अन्य जगहो पर गोवंशी पशुओं की तस्करी करने वाले गैंग के 03 अभियुक्तगण 1.साहेब अंसारी पुत्र ईदमुहम्मद ग्राम नवदा परसौनी थाना उचकागांव जनपद गोपालगंज बिहार, 2.नन्दू कुमार यादव पुत्र भानू यादव सा0 सलेमगढ़ सियरहा थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर, 3. एक अन्य महिला के विरुद्ध थाना पुलिस द्वारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा अपने व अपने परिवार एवं सगे संबंधियों/ गैंग सदस्यों के लिए आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पश्चिमी उत्तर प्रदेश व अन्य जगहो से पशुओं (गाय, बैल, साड़ व बछड़ो) की गौ-तस्करी करने जैसे जघन्य अपराध कारित किया जाता है दिनांक- 29.11.2023 को मुखविर की सूचना पर पुलिस द्वारा इस गिरोह को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 03 राशी गोवंशीय पशु व 01 अदद पिकप बरामद किया गया था। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 979/2023 धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 का अभियोग पंजीकृत है। साहेब अंसारी उपरोक्त नें अपने अन्य सदस्यों के साथ मिल कर गौ-तस्करी करने जैसे जघन्य अपराध कारित करते है। यह गिरोह संगठित होकर अपने व अपने अन्य साथियों के लिए आर्थिक /भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश से गौ-तस्करी का कार्य करता है एवं अवैध सम्पत्ति अर्जित कर लिये जिनके विरुद्ध आज थाना स्थानीय पर 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

थाना तरया सुजान पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वाँछित/ वारण्टी अभियुक्तों, की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.04.2024 थाना तरयासुजान पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0न0 4089/09 धारा 323, 504, 506 भा0द0वि0

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त-

1-उपेन्द्र पुत्र जयप्रकाश गिरी निवासी भगवानपुर थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-प्र0नि0 आशुतोष सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 2-उ0नि0 आलोक सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 3-का0 राहुल कन्नौजिया थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

थाना रविन्द्रनगर धूस पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमें में 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/ वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.04.2024 को थाना रविन्द्रनगर धूस पुलिस टीम द्वारा प्रमेनगर चौराहा मिल्की के पास से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 64/2024 धारा 363,376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रामआशीष पुत्र रामप्रवेश साकिन मिल्की थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-64/2024 धारा 363,376, भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त-

रामआशीष पुत्र रामप्रवेश साकिन मिल्की थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-थानाध्यक्ष संजय कुमार थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
- 2-उ0नि0 सौरभ द्विवेदी थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
- 3-का0 अर्जुन यादव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
- 4-का0 वरुण यादव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 34नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-00वाहन
- 2- 107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-48,व्यक्ति-207
- 3- वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(02)
- 4-जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-36)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर